फर्द अहकाम

(नियम (२०))

आज अदालत ....उपखण्ड अधिकारी मंडावर .... सिकराय ...(दौसा)...........

सरकार बनाम ....शारदा वगैरह..........................

किस्म मुकदमा ......88/188 RTA..........................मु० नं०.......70/08..........................

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नंबर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
24.1.22	पत्रावली निर्णय हेतु पेश। वाद के तथ्यों व उभय पक्षों की बहस पर गौर किया गया।	

वादीगण कन्हैयालाल वगैरह द्वारा ग्राम शेखपुरा के वर्ष 2006 की जमाबंदी के खाता सं. 2/40 व 3/41 की भूमि बाबत उद्घोषणा व इन्द्राज दुरुस्ती का अनुतोष चाहा गया है। वादीगण/प्रति. की मद सं. 2 में वर्णित भूमि पर खातेदारी घोषणा व स्थायी निषेधाज्ञा का अनुतोष चाहा है।

प्रति. 14 व 15 की ओर से दि. 25.3.11 को जवाब पेश कर प्रश्नगत भूमि के 1/2 हिस्सा के खातेदार (जमाबंदी अनुसार) होने के आधार पर, उद्घोषणा वाद खारिज करते हुये, तकासमा का अनुतोष चाहा है।

प्रति. सं. 1 ता 4 द्वारा दि. 24.6.14 को जवाबदावा पेश कर ख. नं. 129, 130, 139, 181 व 183 पर सेडूराम-रामस्वरूप पुत्रान भौरया का संवत 2018 में खातेदार दर्ज होने तथा स्वयं व सेडूराम-रामस्वरूप की कब्जा काश्त ~~लगत~~ होने व ख. नं. 126 में 1/3 हिस्सा की खातेदारी घोषणा का अनुतोष चाहा है।

सेडूराम (प्रति. 17) द्वारा 27.2.15 को O1R10 प्रा. पत्र पेश किया जो दि. 6.4.18 को स्वीकार किया गया। सेडूराम द्वारा दि. 23.11.20 को Counter claim पेश किया गया।

उभय पक्षों के चाहे गये अनुतोष के आधार पर दि. 16.12.20 को तनकी विरचित की गयी।

वादी पक्ष द्वारा अपने वाद के समर्थन में कोई साक्ष्य पेश नहीं की गयी।

प्रतिवादी पक्ष द्वारा साक्ष्य में दो शपथ पत्र पेश किये गये, जिसमें सेडूराम से वादी अधिवक्ता द्वारा जिरह की गयी।

उभय पक्ष की बहस अनुसार उभय पक्षों का संजरा खानदान निम्न प्रकार है:-

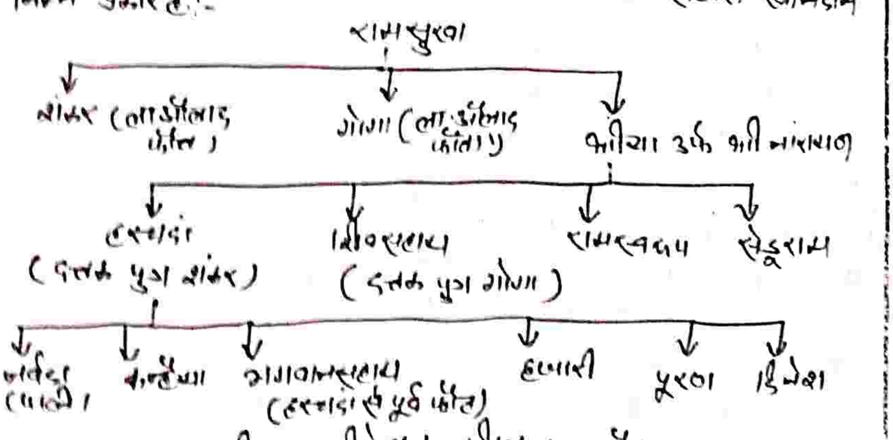

वाद का तनकीवार विवेचन निम्न प्रकार है:-

<u>तनकी सं. 1</u> → आया वादी प्रश्नगत भूमि के 5/6 हिस्सा उद्घोषणा के अधिकारी हैं — वादी

—— लगातार ...

(हस्ताक्षर) 24.1.22

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नंबर व अहकाम हुक्म की में जारी

कन्हैया
उनवान सरकार बनाम ...शारदा व और...

88.188 RTA

मुकदमा नं० ......70/18...... निर्णय दि०......24.1.22.

वादी पक्ष द्वारा अपने वाद के समर्थन में कोई साक्ष्य पेश नहीं किया है। साक्ष्य के अभाव में यह तनकीह विरुद्ध वादीगण निर्णित की जाती है।

तनकीह सं. 2 व 3 तनकीह 1 से related हैं। चूंकि वादी पक्ष तनकीह 1 को सिद्ध नहीं कर पाया है अतः ये तनकीहें भी विरुद्ध वादीगण निर्णित की जाती हैं।

वाद की प्रकृति के अनुसार तनकीह सं. 6 व 7 का एक साथ विवेचन किया जाना व तनकीह सं. 4 व 5 का सबसे अंत में विवेचन किया जाना वाद की प्रकृति के अनुरूप है।

तनकीह सं. 6 → आया प्रति. सं. 1 ता 4 प्रश्नगत भूमि में 1/3 हिस्सा पाने के अधिकारी हैं — प्रति. 1 ता 4

तनकीह से पूर्व विवेचित सजरा, सम्वत 2018 की जमाबंदी व वर्तमान कब्जा काश्त अनुसार प्रति. 1 ता 4 रामसुख के वंश वृक्ष अनुसार प्रश्नगत भूमि में 1/3 हिस्सा पाने के अधिकारी हैं।

वादी अधिवक्ता द्वारा सं. 2018 की सेदूराम-रामस्वरूप की entry को महज राजस्व कर्मियों की साजिश बताया है जबकि वे ऐसा कोई साक्ष्य पेश नहीं कर पाये हैं।

अतः यह तनकीह प्रति. 1 ता 4 के पक्ष में निर्णित की जाती है

तनकीह सं. 7 व 8 → आया प्रति. 17 प्रश्नगत भूमि में से 1/3 हिस्सा पाने का अधिकारी है — प्रति. सं. 17

तनकीह से पूर्व वर्णित सजरा अनुसार सेदूराम व रामस्वरूप भीया के पुत्र हैं तथा भीया के के पुत्र हरचंदा व शिवसहाय क्रमशः शंकर व गंगा के दत्तक पुत्र ~~की हैसियत से~~ हैं। सं. 2018 की खातेदारी अनुसार प्रश्नगत भूमि में 1/3 हिस्सा की सेदूराम व रामस्वरूप अधिकारी हैं। पूर्व खातेदारी उद्घोषणा के सं. 2018 से पूर्व सेदूराम व रामस्वरूप उपकृषक दर्ज हैं व 2018 की जमाबंदी में बतौर खातेदार दर्ज हैं। 2018 की जमाबंदी पश्चात आज दिं. इनका राजस्व रिकार्ड में नाम दर्ज नहीं है लेकिन 1/3 हिस्सा की कब्जा काश्त है

वादी अधिवक्ता द्वारा सं. 2018 की entry को महज राजस्व कर्मियों की साजिश माना है, जबकि वे इस बाबत कोई साक्ष्य पेश नहीं कर पाये हैं।

कोई राजस्व entry जब तक विधि-विरुद्ध सिद्ध नहीं कर दी जाती है तब तक वो Bonafide मानी जाती है। मौका की कब्जा काश्त भी इसे सिद्ध करती है।

अतः तनकीह सं. 7 व 8 प्रति. सं. 17 व उसके भाई रामस्वरूप के पक्ष में निर्णित की जाती है।

— लगातार...

24.1.22.

म

हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज
कन्हैया
उनवान सरकार बनाम ....शारदा वगैरह..............
88, 188 RTA

नंबर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए

मुकदमा नं० ......70/08...... निर्णय दि0....24.1.22.

तनकी सं. 9→ आया प्रति. सेडूराम वादीगण को स्थायी निषेधाज्ञा से पाबंद करवाने का अधिकारी है - प्रति. 17

तनकी सं. 7व 8 के विवेचन अनुसार प्रति. सं. 17 सेडूराम व रामस्वरूप प्रश्नगत भूमि के 1/3 हिस्सा की (प्रत्येक 1/6 हिस्सा) खातेदारी उद्घोषणा के अधिकारी है। प्रश्नगत भूमि के 1/3 हिस्सा पर वादीगण को स्थायी निषेधाज्ञा से पाबंद करवाने के अधिकारी हैं।

तनकी सं. 4व 5→ आया प्रति. सं. 14व 15 1/2 हिस्सा की खातेदारी के आधार पर तकासमा करवाने व भूमि पाने के अधिकारी है - प्रति. 14व 15

तनकी सं. 6, 7व 8 के विवेचन अनुसार प्रति. 14व 15 1/2 हिस्सा (मौजूदा खातेदारी) की खातेदारी के पूर्ण रूप से अधिकारी नहीं रहे हैं।
प्रति. सं. 14व 15 उद्घोषणा उपरांत प्राप्त हिस्सेदारी अनुसार पुनः विभाजन वाद लाने हेतु स्वतंत्र है। अतः ये तनकियां आंशिक रूप से प्रति. सं. 14व 15 के पक्ष में निर्णित की जाती है।

आदेश

वाद वादीगण खारिज किया जाकर प्रतिवादीगण का Counter स्वीकार किया जाकर ग्राम शेरपुरा के वर्तमान खाता सं. 3व4 में वाद में वर्णित भूमि के 1/3 हिस्सा के खातेदार प्रति. सं. 1व4 तथा 1/3 हिस्सा के खातेदार सेडूराम-रामस्वरूप पुत्र भीया को घोषित किया जाता है, व वादी पक्ष को स्थायी निषेधाज्ञा से पाबंद किया जाता है कि वो उद्घोषणा अनुसार हिस्से में किसी तरह का हस्तक्षेप नहीं करें। उभय पक्ष उद्घोषणा अनुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद उपरांत विभाजन वाद लाने हेतु स्वतंत्र हैं।
आदेशानुसार डिक्री व तहरीर जारी होकर पत्रावली फैसल शुमार हो।

(रणजीत सिंह)
24.1.22.